राजस्थान विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(सदन शाखा)

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या - 63

विधान सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक 04 अगस्त, 2026

विषय : शून्यकाल में उठाये जाने वाले विषय एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी।

निदेशानुसार समस्त माननीय सदस्यों को सूचित किया जाना है कि शून्यकाल के दौरान नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनायें, पर्ची के साथ ही नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं अन्य नियमान्तर्गत प्रस्तावों को NeVA (https://cmsraj.neva.gov.in) के माध्यम से हिन्दी यूनिकोड (मंगल फॉन्ट) में टंकित करवाकर ऑनलाईन प्रेषित कर सकेंगे।

यदि किसी माननीय सदस्य को उपरोक्त ऑनलाईन व्यवस्था में तकनीकी समस्या आ रही हो तो वे कृपया वरिष्ठ निदेशक (IT), NIC 0141-2744335 तथा प्रक्रियागत समस्या के लिए विधान सभा भवन के पश्चिम द्वार कक्ष संख्या-733 में संचालित नेवा (NeVA) सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सामान्य जानकारी निम्न प्रकार दी जा रही है :-

स्थगन प्रस्ताव

1. संसदीय परम्पराओं के अनुसार माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना देनी चाहिए जो अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की हो और उसके समाधान में सरकार की असफलता दृष्टिगोचर हो।

2. माननीय अध्यक्ष नियम 50 के अन्तर्गत जिन स्थगन प्रस्तावों पर सम्मति देना उचित समझे उन प्रस्तावों को सदन के सम्मुख लाया जावेगा। जो प्रस्ताव अस्वीकार किये जायेंगे उनकी सदन में कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे अस्वीकृत मामलों को माननीय सदस्य सदन में नहीं उठायेंगे और न ही विवाद का विषय बनायेंगे।

3. माननीय अध्यक्ष, जिन प्रस्तावों को पर्याप्त लोक महत्व का मानते हुये सरकार की ओर से उन पर वक्तव्य दिलाना चाहें, उनके बारे में भी सदन में व्यवस्था दी जा सकेगी।

4. एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जावेगा।

5. एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट लोक महत्व के विषय तक ही सीमित रहेगा।

6. माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव सत्र कार्य दिवस से एक दिवस पूर्व दोपहर 2:00 बजे से कार्य दिवस के प्रात: 09:30 बजे तक नेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही प्रेषित कर सकेंगे।

जारी ...

विशेष उल्लेख की सूचनायें

1. माननीय सदस्यों को सप्ताह में एक बार नियम 295 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय को सदन में उठाने का अवसर प्राप्त है।
2. माननीय सदस्य विशेष उल्लेख की सूचनाएं सत्र की बैठक प्रारम्भ होने से 03 दिवस पूर्व प्रस्तुत कर सकेंगे।
3. नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले किसी विषय के लिए शब्दों की सीमा 250 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। 250 शब्दों की सीमा से अधिक की सूचना को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत विशेष उल्लेख की सूचना को सदन में पढ़ा जाता है। अत: केवल लिखे हुए शब्दों का ही पठन कर सकते हैं।
5. नियम 295 के अधीन सभी सूचनाएं उसी सप्ताह के लिए विधिमान्य हैं, जिसके लिए वे दी गई हैं।
6. सदन की बैठक में प्रतिदिन 15 विशेष उल्लेख की सूचनाओं को उठाया जा सकेगा तथा सदस्यों की पारस्परिक प्राथमिकता का निर्धारण प्राप्ति के क्रम में होगा। सप्ताह के उस अन्तिम दिन, जिस दिन सदन की बैठक होती है, में प्राप्त होने वाली सूचनाओं में से आगामी सम्पूर्ण सप्ताह (सदन की बैठक के दिवस) के लिए प्रतिदिन 15 विशेष उल्लेख की सूचनाओं की गणना करते हुए एक साथ प्राप्ति की वरीयता के क्रम में निर्धारित किया जाएगा।
7. सदन में उठाये जाने वाली सूचनाओं की अनुमति प्रश्नकाल समाप्त होते ही, शून्यकाल में माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी जाती है। अत: माननीय सदस्य उस समय सदन में उपस्थित रहें।

पर्ची

1. विषय हाल ही में घटित किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से सम्बद्ध होना चाहिये।
2. पर्ची पद्धति में एक सत्र से अगले सत्र की अवधि के दौरान घटित घटनाओं से संबंधित विषयों को ही सम्मिलित किया जाएगा। इन विषयों का चयन लॉटरी में शामिल किए जाने से पूर्व कर लिया जाएगा।
3. सप्ताह में एक माननीय सदस्य को पर्ची के माध्यम से केवल दो बार विषय उठाने की अनुमति होगी।
4. पर्ची के माध्यम से किन 04 माननीय सदस्यों को अनुमति दी जाय, इसका निर्धारण शलाका (लॉटरी) के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया से अधिक से अधिक 04 माननीय सदस्यों को एक दिन की बैठक में सदन में दो मिनट बोलने की अनुमति दी जाएगी।
5. इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे।
6. यदि कोई महत्वपूर्ण मामला हो और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती है तो उसके लिये विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति दी जायेगी।
7. इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय के लिये राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकेगा। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह सकेंगे।

जारी ...

8. पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय पर मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने की स्थिति में पर्ची प्रस्तुतकर्ता सदस्य को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, परन्तु कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

9. माननीय सदस्य सदन की बैठक के दिन प्रात: 08.45 बजे से 09.45 बजे तक पर्ची नेवा पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

1. प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत एक माननीय सदस्य द्वारा एक सप्ताह में अधिकतम 05 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकेंगे। एक सप्ताह में 05 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीमा से अधिक प्राप्त हुए प्रस्ताव स्वत: निरस्त समझे जायेंगे।
2. प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत 02 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्यसूची में सम्मिलित करने के प्रयास किये जायेंगे।
3. प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सत्र प्रारम्भ होने की दिनांक के एक सप्ताह पूर्व से ही प्रस्तुत कर सकेंगे।

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव